**प्रतिवादियों की ओर से अंतरिम लिखित कथन**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है

1. यह कि प्रतिवादी आज्ञापक व्यादेश दिनांकित............... के लिए वादपत्र में यथा सम्मिलित किये गये वादी के प्रतिविरोधों, प्रकथनों, अभिकथनों या फुसलावो में से किसी को स्वीकृत नहीं करता है और मिथ्या एवम् भ्रमात्मक समझा जाने के कारण उसका प्रत्याख्यान कर देता है।
2. यह कि स्वयमेव वादपत्र की पोषणीयता / संस्थित किये जाने की प्रारम्भिक प्रकृति का एक विशुद्ध विधिक आक्षेप है जो मामले की तह तक जाता है और एक मात्र उस संक्षिप्त आधार पर वाद की खारिजी को अधिप्रमाणित करता है।
3. यह कि अतएव, प्रतिवादी उस दशा में आगे और/या ब्यौरेवार लिखित कथन दाखिल करने के अधिकार को आरक्षित कर, स्वयेव वाद की पोषणीयता के विरुद्ध विधिक आधार पर एक आक्षेप को परिसीमित किये गये अंतरिम लिखित कथन को दाखिल करने के लिए यह आदरणीय न्यायालय नीचे उपवर्णित किये गये प्रतिवादी के प्रारम्भिक आक्षेप को नामंजूर करने की कृपा करें।
4. (क) यह कि प्रस्तुत वाद का जितना जितना वर्जन आदेश 2 , नियम 2 के अधीन किया जाता है जितना कि वादी को उस समय..............में उसके पक्ष में विद्यमान रहने के रूप में सभी उपलब्ध वाद हेतुक के सम्बन्ध में चल रही कार्यवाहियों को ग्रहण करने के लिए कानून में आबद्ध किया गया जब वादी ने सं0................से सम्बन्धित स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद दाखिल किया (जो............की न्यायालय में वर्तमान रूप से लम्बित है) ।

कोई दावा आज्ञापक या अन्य अनुतोषों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही पश्चात्वर्ती रुप से संस्थित करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा के लिए किया गया तो वर्तमान वाद की विषय-वस्तु की विरचना कर रहे हैं। कोई अनुज्ञा कथित न्यायालय द्वारा नहीं मंजूर की गयी जिसके समक्ष पूर्वतर वाद सं........................................लम्बित है।

(ख). ऊपरी दृष्टिकोण से, स्वयमेव वर्तमान वाद के संस्थित किये जाने/पोषणीय का आदेश 2 नियम 2 के अधीन विधि के प्रवर्तन द्वारा वर्जन किया जाता है। अतएव, वादपत्र पोषणीय न होने के कारण एक मात्र इस कथित संक्षिप्त आधार पर अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

(ग) यद्यपि धारण करना, यद्यपि न स्वीकृत करना भी, यह कि यह आदरणीय न्यायालय अन्यथा अभिनिर्धारित करता है और पश्चात्वर्ती वाद' को पोषणीय होना पाता है तब पर भी चूंकि एक ही अधीन मुकदमेबाजी करने वाले एक ही पक्षकारों के बीच लम्बित एक पहले से ही पूर्ववर्ती तौर पर संस्थित कर किया जाता है, अतएव यह समीचीन एवम् न्यायहित में है कि पश्चात्वती वाद में कार्यवाहियाँ (यह कि वर्तमान वाद)................... की न्यायालय में लम्बित पूर्वतर वाद सं...................की सुनवाई तथा अंतिम निपटारा किये जाने तक स्थगित कर दी जाय।

अतएव, यह अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वादी बिल्कुल किसी अनुतोष का हकदार नहीं है और वाद प्रतिवादी को अधिनिर्णीत किये जाने वाले अनुकरणीय खर्चे के साथ खारिज किये जाने योग्य है।

**प्रतिवादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**सत्यापन**

..............में तारीख................... को यह सत्यापित किया गया कि ऊपर लिखित खर्चों की अन्तर्वस्तुएं मेरी जानकारी एवम् मेरे द्वारा प्राप्त की गयी और सत्य होनी मानी गयी विधिक सलाह में सत्य एवम् सही है।

**शपथकर्ता**